बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–06–21 / 2024(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक–4912 दिनाक–22.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डॉ० साहिर नवाज, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगज, भागलपुर के विरूद्ध दिनांक–19 03 2021 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय सकल्प स०–1638(9) दिनाक–06.11.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० नवाज के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। विभागीय पत्रांक–486(9) दिनाक–28 06 2024 द्वारा डॉ० नवाज से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ० नवाज द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए अवगत कराया गया कि वे दिनाक–18.03.2021 से Anaplastic Large Cell Lymphoma से तीन साल तक ग्रसित होने के कारण कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् पारिवारिक परिस्थतियॉ प्रतिकूल होने के कारण कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सकें।

4. विभागीय आदेश स०–1140(9) दिनाक–20 11 2024 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक मे डॉ० साहिर नवाज द्वारा दिनाक–28.11.2024 को सिविल सर्जन, भागलपुर के समक्ष योगदान समर्पित किया गया एवं उनके कार्यालय आदेश स०–7032 दिनांक–29.11.2024 के आलोक में डॉ० नवाज ने दिनांक–30.01 2024 को चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगज, भागलपुर का प्रभार ग्रहण किया गया।

5. डॉ० नवाज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त डॉ० नवाज के विरूद्ध दिनाक–19.03 2021 से 27.11.2024 तक लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन सचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

6. विभागीय पत्रांक–293(9) दिनाक–20 03.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1399 दिनांक–01 07.2025 के द्वारा सहमति व्यक्त किया गया।

7. अतएव डॉ० साहिर नवाज, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगंज, भागलपुर के विरूद्ध दिनांक–19 03 2021 से 27 11 2024 तक लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के साथ इस अवधि की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

(15)

ज्ञापांकः—9 / आ0—06—21 / 2024(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः—........................

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, भागलपुर / कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9 / आ0—06—21 / 2024(स्वा0) 737(9) / पटना, दिनांकः— 08.07.25

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / सिविल सर्जन, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— डॉ० साहिर नवाज, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानगंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि —प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

08/07/2025

सरकार के अवर सचिव।